[2004] 1 उम. नि. प.155

राजस्थान राज्य

बनाम

भवानी और एक अन्य

31 जुलाई, 2003

न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू, न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन् और न्यायमूर्ति जी. पी. माथुर

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 386 और 374 [सपठित दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302, 307] – हत्या – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील – उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य पर विचार किए बिना विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटना स्पष्टतः संहिता की धारा 386 के व्यतिक्रम में है, अतः इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति अपास्त किए जाने योग्य है ।

विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई इस अपील के तथ्यों के अनुसार राजस्थान राज्य के किशनगढ़ (अलवर) के भजनवास में अभि. सा. 1 जब अपने नोहरे में चारा काट रहा था, तभी प्रत्यर्थीगण विभिन्न हथियारों से लैस होकर अचानक वहां आ गए और उन लोगों ने गालीगलौज करने के पश्चात् अपने-अपने आयुधों से गोली चलाना आरंभ कर दिया । इसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और कई अन्य व्यक्ति घायल हो गए । विचारण के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने सभी प्रत्यर्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 307, 302 और 448 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए उन्हें क्रमशः प्रत्येक अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास, 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माना, आजीवन कारावास और 100 रुपए जुर्माना और एक मास का कठोर कारावास का दंडादेश दिया । प्रत्यर्थी सं. 1 को आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपए जुर्माने का दंडादेश दिया । दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए सभी अभियुक्तों को संदेह के आधार पर दोषमुक्त कर दिया । उक्त दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर राजस्थान राज्य ने उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय का निर्णय सभी दृष्टिकोणों से अत्यधिक रहस्यमय और काफी असंतोषजनक है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन पर आधारित हत्या के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या उन लोगों ने वास्तव में घटना को घटित होते देखा था और क्या उनके द्वारा किया गया कथन वास्तविक हैं और उससे सत्य प्रकट होता है और अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से उसकी संपुष्टि होती है अथवा नहीं, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की गहनता से परीक्षा किया जाना आत्यंतिक रूप से आवश्यक है । वर्तमान मामले में, 11 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के पक्षकथन का पूर्ण समर्थन किया है । इन 11 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से 5 क्षतिग्रस्त साक्षी थे जिन्हें गोली की गंभीर क्षतियां पहुंची थीं । इसलिए, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में किसी भी रीति में संदेह नहीं किया जा सकता है । (पैरा 6)

ऐसा कथन कि दोनों ओर से गोली चलाई गई थी, सिर्फ ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो दोनों पक्षकारों अर्थात् अभियुक्त और परिवादी पक्ष (क्षतिग्रस्त व्यक्ति और मृतक) को जानता और पहचानता हो । उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्षकथन पर संदेह करने के लिए दोनों ओर से गोली चलाए जाने की परिस्थिति का जोरदार अवलंब लिया । अत:, अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के लिए दिए गए अन्य कारण का कतई कोई आधार नहीं है । (पैरा 8)

यह पता लगाने के लिए कि क्या साक्ष्य को कोई महत्व दिया जाए या नहीं, उसके साक्ष्य का समग्र रूप से परिशीलन किया जाना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए । न्यायालय को ऐसे किसी साक्षी के परिसाक्ष्य पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और सामान्यतया उसके साक्ष्य की संपुष्टि की अपेक्षा करनी चाहिए । उच्च न्यायालय ने अभियोजन के उस पक्षकथन जिसे अनिन्द्य प्रकृति के अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य द्वारा पूर्णत: सिद्ध कर दिया गया है, को बिल्कुल परित्यक्त कर पक्षद्रोही साक्षी के परिसाक्ष्य को वेदवाक्य के रूप में स्वीकार किया । कम से कम यह कहा जा सकता है कि मामले पर विचार करने का उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूर्णत: भ्रामक है । (पैरा 9)

उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के पक्षकथन को अस्वीकार करने के लिए अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थल योजना का व्यापक रूप से अवलंब लिया और इस प्रयोजन के लिए उसने उस स्थान का हवाला दिया जहां से अभियुक्तों ने अभिकथित रूप से नोहरा में प्रवेश किया, उस स्थान से जहां से उन लोगों ने मृतक पर अभिकथित रूप से गोली चलाई थी और यह भी निष्कर्ष निकाला कि वह स्थान जहां से अभियुक्तों द्वारा मृतक पर फायर किया जाना अभिकथित है, वहां से नोहरा के पूर्वी दिशा के मकानों में गोली नहीं मारी जा सकती । अन्वेषक अधिकारी ने स्थल योजना में उल्लिखित बहुत-सी बातें साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर लिखी हैं। सुस्पष्टत:, वह स्थान जहां से अभियुक्त ने नोहरा में प्रवेश किया और वह स्थान जहां से उन लोगों ने गोली चलाई थी, साक्षियों के कथन पर आधारित है । ये स्पष्टत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के विरुद्ध है । अन्वेषक अधिकारी ने स्वयं जो देखा और नोट किया वही ग्राह्य होगा । (पैरा 10)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2003]	जे. टी. 2003 (2) एस. सी. 1 = (2003) 2 एस. सी. सी. 518 : **अमर सिंह** बनाम **बलविन्दर सिंह और अन्य;**	7
[1995]	(1995) 5 एस. सी. सी. 602 : **भरवाद जकशी भाई नागजी भाई और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य;**	5
[1991]	[1991] 2 उम. नि. प. 175 = ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2134 : **अशोक कुमार** बनाम **राजस्थान राज्य ;**	5
[1989]	(1989) सप्ली. 2 एस. सी. सी. 322 : **अरुण कुमार और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य;**	5
[1962]	ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 399 : **तोरी सिंह और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ।**	10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1996 की दांडिक अपील सं. 421.

1988 की खंड न्यायपीठ (दांडिक) अपील सं. 282 में राजस्थान उच्च न्यायालय के तारीख 31 जनवरी, 1991 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री मनीष सिंघवी, के. वी. भारती उपाध्याय, रंजी थामस, वी. एन. रघुपति

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री यूनुस मलिक, वनी सिंह, गोपाल सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से मैसर्स एल. पी. अग्गावल्ला एण्ड कंपनी (अनुपस्थित)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जी. पी. माथुर ने दिया ।

न्या. माथुर – राजस्थान राज्य ने विशेष इजाजत द्वारा यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर न्यायपीठ के तारीख 31 जनवरी, 1991 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध की जिसमें प्रत्यर्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध की गई अपील को मंजूर कर लिया गया था और उन्हें दोषमुक्त कर दिया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़ (अलवर) ने प्रत्यर्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 307, 302 और 448 के अधीन दोषसिद्ध किया था और उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए क्रमश: एक वर्ष का कठोर कारावास, 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपए का जुर्माना, आजीवन कारावास और 100 रुपए जुर्माना और एक मास का कठोर कारावास का दंडादेश दिया था । प्रत्यर्थी सं. 1 भवानी को उसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्ध किया था और एक वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया था ।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना भजनवास ग्राम में तारीख 21 दिसंबर, 1985 को सायं लगभग 5.30 बजे घटी जब अभि. सा. 1 दया राम अपने नोहरा में चारा काट रहा था । प्रत्यर्थी भवानी बन्दूक, हरि सिंह देशी पिस्तौल और तीन अन्य व्यक्ति अर्थात् किशन लाल बन्दूक, रामजी लाल पिस्तौल और अमीलाल देशी पिस्तौल से लैस होकर अचानक वहां आए और गाली देने के पश्चात् अपने-अपने आयुधों से फायर करना आरंभ कर दिया । यह कहा गया है कि लाठी और फरसा लिए हुए कुछ अन्य व्यक्ति नोहरा के बाहर खड़े हुए थे । फायरिंग के परिणामस्वरूप दो व्यक्ति अर्थात् देशराज और होशियार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और कई अन्य व्यक्तियों को बन्दूक की गोली की क्षतियां पहुंची । मृतक देशराज के भाई अभि. सा. 1 दयाराम ने तारीख 21 दिसंबर, 1985 को रात्रि 8 बजे घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना मुंडावर, जो घटनास्थल से 17 किलोमीटर दूरी पर था, में दर्ज कराई जिसमें अभियुक्त के रूप में 16 व्यक्तियों के नाम थे । हमले का हेतु नोहरा के संबंध में मुकदमेबाजी होना बताया गया है जो पक्षकारों के मध्य उपखंड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ के न्यायालय में लंबित था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया और इसके पश्चात् सामान्य अन्वेषण आरंभ किया गया । तीन अभियुक्त अर्थात् किशन लाल, रामजीलाल और अमीलाल को अभियोजित नहीं किया गया क्योंकि वे फरार थे । तथापि, अभियोजन ने 35 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित हो गया था कि भवानी, हरि सिंह, किशनलाल, रामजीलाल और अमीलाल ने विधिविरुद्ध जमाव गठित किया और अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने नोहरा में अतिचार किया और देशराज और होशियार की मृत्यु कारित की थी और अन्य व्यक्तियों पर फायरिंग करके उन्हें बंदूक की गोलियों से क्षतियां पहुंचाई थीं । यह अभिकथित है कि शेष अभियुक्त नोहरा के बाहर खड़े थे और यह भी अभिकथित है कि वे लाठी और फरसा लिए हुए थे और उन लोगों ने किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने में कोई विनिर्दिष्ट भूमिका नहीं निभाई, इसलिए उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया । प्रत्यर्थी भवानी और हरिसिंह ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील की जिसे उच्च न्यायालय ने उस निर्णय और आदेश द्वारा मंजूर किया जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है ।

3. इससे पूर्व कि हम पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के निवेदनों पर विचार करें, संक्षेप में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अवेक्षा करना लाभप्रद होगा । अभि.सां. 1 दयाराम ने कहा कि नोहरे के संबंध में किशनलाल (फरार अभियुक्त) के साथ उपखंड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ के न्यायालय में मुकदमेबाजी चल रही थी जिसके कारण अभियुक्त उससे दुश्मनी रखता था । घटना की तारीख को शाम लगभग 5.30 बजे वह नोहरा में चारा काट रहा था जब भवानी और किशन लाल बंदूक, हरि सिंह और अमीलाल देशी पिस्तौल, रामजीलाल पिस्तौल और 11 अन्य अभियुक्त लाठी और फरसा लेकर वहां आए । किशनलाल ने गालियां दीं और तत्पश्चात् अग्न्यायुधों से लैस सभी पांचों अभियुक्तों ने अपने-अपने आयुधों से फायरिंग करना आरंभ कर दिया । देशराज, लीला, दौलत, रतन, माखन और बाबूलाल जो बैठक में बैठे हुए थे, गाली और बंदूक की गोली की आवाज सुनकर बाहर आ गए । अभियुक्त ने भी उन पर फायर किया, जिसके कारण उन्हें गोलियों से क्षतियां पहुंची । गोली चलने की आवाज सुनकर भोलू उसकी पत्नी संतोष और होशियार भी न केवल नोहरा की ओर गए बल्कि अभियुक्त द्वारा चलाई गई गोली के शिकार भी हुए और गोली लगने के पश्चात् वे नीचे गिर पड़े । लाठी और फरसा से लैस शेष 11 अभियुक्तों, ने नोहरा को चारों ओर से घेर लिया और किसी को भी भागने नहीं दिया । उन्हें पहुंची क्षतियों के परिणामस्वरूप देशराज और होशियार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उसने आगे यह बताया कि तत्पश्चात् वह बाबू लाल वैद्य की जीप से मुंडावर पुलिस थाने गया जहां उसने रात 8.00 बजे घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई । अभि.सा. 5 भोलू राम (मृतक होशियार का भाई), अभि. सा. 6 लीला राम, अभि. सा. 10 बाबू लाल, अभि. सा. 11 धन्नी, अभि. सा. 12 लाली, अभि. सा. 13 संजना, अभि. सा. 14 श्रवण, अभि. सा. 15 पटोरी, अभि. सा. 16 संतोष और अभि. सा. 17 भरपाई ने भी ऐसा ही कथन किया । इन 11 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से अभि. सा. 1, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 16 को बंदूक की गोली की क्षतियां पहुंची थीं और इस प्रकार वे क्षतिग्रस्त साक्षी हैं । अभि. सा. 26 डा. श्रीचन्द शर्मा, जो सार्वजनिक स्वास्थय केन्द्र मुंडावर में तैनात थे, ने तारीख 22 दिसंबर, 1985 को मृतक देशराज और होशियार सिंह की शवपरीक्षा की । बाएं प्रबाहु, दाहिनी भुजा और चेहरे पर अनेकों बंदूक गोली के घावों के अलावा देशराज के सीने पर 7 इंच व्यास के गोलियों के 22 घाव थे और उदर (पेट), अधिजठर और नाभि क्षेत्र में बंदूक की गोली के 10 घाव थे । आंतरिक परीक्षा से यह दर्शित हुआ है कि उरोस्थि और तीसरे, चौथी, पांचवीं और छठी पर्शुका(पसली) दोनों ओर से वेधित हो गई थी और फुप्फुसावरण में छेद हो गया । होशियार सिंह के सीने के मुख्य भाग पर 6 इंच व्यास के गोली के 12 घाव, अधिजठर क्षेत्र में गोली के दो घाव, दाहिने और बाएं प्रबाहु पर बंदूक की गोली के दो घाव थे । उरोस्थि और तीसरी, चौथी और पांचवीं पर्शुका में दोनों ओर से अस्थिभंग हो गया था और फुप्फुसावरण में छेद हो गया था । चिकित्सक की राय में दोनों मृतकों को पहुंची मृत्यु पूर्व क्षतियां प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । अभि. सा. 12 डा. पी. एन. अग्रवाल, जो सार्वजनिक अस्पताल, अलवर में तैनात थे, ने तारीख 22 दिसंबर, 1985 को अभि. सा. 1 दयाराम की चिकित्सीय परीक्षा की और उसके जबड़े, गर्दन के दायीं ओर सीना, कंधे और बायीं भुजा पर गोली की क्षतियां मिलीं । उसने अभि. सा. 10 बाबू लाल की भी परीक्षा की और उसके दाहिने कूल्हे, जांघ और बाएं हाथ पर गोली की क्षतियां मिलीं । अभि. सा. 23 डा. गोपाल महेश्वरी, जो सरकारी अस्पताल कोटपुतली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात था, ने तारीख 22 दिसंबर, 1985 को अभि. सा. 5 भोलू राम, अभि. सा. 6 लीला राम, अभि. सा. माखन राम, अभि. सा. 8 दौलत राम, अभि. सा. 9 रतन लाल और अभि. सा. 16 संतोष की उसी दिन चिकित्सीय परीक्षा की और उनके शरीर पर बंदूक की गोली की क्षतियां मिलीं । लीला राम को छाती, उदर (पेट), ठुड्डी और दायीं आंख के नीचे गोली की क्षतियां पहुंची थीं । भोलू राम की छाती, उदर बाहु और जांघों पर छर्रे की अनेक क्षतियां थीं और श्रीमती संतोष के उदर और दाएं सहायक पुटक पर छर्रे की क्षतियां थीं । तारीख 21 दिसंबर, 1985 को अभि. सा. 22 महेश चन्द्र दुबे पुलिस थाना

मुंडावर में थानाधिकारी के रूप में तैनात था । अपने अभिसाक्ष्य में उसने मामले के अन्वेषण के अनुक्रम में उसके द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया ।

4. अभि. सा. राजा राम, अभि. सा. 3 बाबू लाल, अभि. सा. 4 राम सिंह उर्फ राधेश्याम, अभि. सा. 7 माखन, अभि. सा. 8 दौतल राम और अभि. सा. 9 रतन ने अभियोजन के पक्षकथन की पुष्टि नहीं की और तदनुसार उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया ।

5. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया और उनके परिसाक्ष्य की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जिससे अभियोजन पक्ष का पक्षकथन पूर्णत: सिद्ध होता है । उसने आग्रह किया कि 11 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जिन्होंने न्यायालय में अपने कथन में अभियोजन पक्ष के पक्षकथन का समर्थन किया है, में से 5 साक्षी क्षतिग्रस्त साक्षी थे, जिन्हें बंदूक की गोलियों की गंभीर क्षतियां पहुंची थीं और इस प्रकार घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे तनिक भी संदेह नहीं हो सकता है । शेष 6 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी उसी स्थान के निवासी थे और उनके मकान निकट में ही थे इसलिए वे घटना के सबसे अच्छे साक्षी थे । तथापि, उच्च न्यायालय ने उन साक्षियों को जिन्हें राजी कर लिया गया था, परिसाक्ष्य का अवलंब लेने का विचार बनाया और जो पक्षद्रोही हो गए थे और उनके कथनों के आधार पर अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार कर दिया है । विद्वान् काउंसेल ने आगे यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने अग्राह्य साक्ष्य का अवलंब लेते हुए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार प्रत्यर्थियों के पक्ष में अभिलिखित दोषमुक्ति का निर्णय पूर्णत: अवैध है और अपास्त किए जाने योग्य है । दूसरी ओर, अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वास्तविक रूप से तारीख 21 दिसंबर, 1985 को रात्रि 8.00 बजे दर्ज नहीं कराई गई थी बल्कि काफी बाद में दर्ज कराई गई थी और इसमें पहले का समय डाला गया था । उसने आगे यह निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की परीक्षा कराई गई वे सभी मृतक के संबंधी थे और इसलिए वे हितबद्ध साक्षी थे जिनके परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । उसने अभियुक्त भवानी के कब्जे से बंदूक की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य की भी चुनौती दी जो वास्तव में किसी एक अभियुक्त की ही थी । अन्तत: , उसने यह आग्रह किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार व्यक्त किए जा सकते थे और चूंकि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियोजन के पक्षकथन को संदेहपूर्ण पाया इसलिए इस न्यायालय को दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान् काउंसेल ने **अशोक कुमार** बनाम **राजस्थान राज्य**[1], **अरुण कुमार और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] और **भरवाद जकशीभाई नागजी भाई और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य**[3] वाले मामले का अवलंब लिया ।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया । उच्च न्यायालय का निर्णय सभी दृष्टिकोणों से अत्यधिक रहस्यमय और काफी असंतोषजनक है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन पर आधारित हत्या के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या उन लोगों ने वास्तव में घटना को घटित होते देखा था और क्या उनके द्वारा किया गया कथन वास्तविक हैं और उससे सत्य प्रकट होता है और अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से उसकी संपुष्टि होती है अथवा नहीं, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की गहनता से परीक्षा किया जाना आत्यंतिक रूप से आवश्यक है । वर्तमान मामले में, 11 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के पक्षकथन

---

[1] [1991] 2 उम. नि. प. 175 = ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2134.

[2] (1989) सप्ली. 2 एस. सी. सी. 322.

[3] (1995) 5 एस. सी. सी. 602.

का पूर्ण समर्थन किया है । इन 11 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से 5 क्षतिग्रस्त साक्षी थे जिन्हें गोली की गंभीर क्षतियां पहुंची थीं । इसलिए, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में किसी भी रीति में संदेह नहीं किया जा सकता है । इन सभी साक्षियों ने लगातार यह कहा कि पांच व्यक्ति अर्थात् भवानी, हरि सिंह, किशन लाल, रामजी लाल और अमीलाल नोहरा के भीतर आए और अपने आयुधों से धुंआधार फायर किया । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनानुसार देशराज और होशियार को बंदूक की गोलियों से क्षतियां पहुंची और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई । डा. श्री चन्द्र शर्मा, जिन्होंने इन व्यक्तियों के शवों की शवपरीक्षा की, के कथन द्वारा उन्हें पहुंची क्षतियां साबित हो गई हैं । गैर-क्षतिग्रस्त साक्षियों में से अभि.सा. 11 धन्नी मृतक होशियार की पत्नी है और अभि. सा. 12 लाली मृतक होशियार की पुत्री है और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में संदेह करने का कोई कारण नहीं है । इसी प्रकार, अभि. सा. 13 संजना बदलू की पुत्री और अभि. सा. 14 सरवन उसकी पत्नी है और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके मकान नोहरा के किनारे स्थित है । उनके परिसाक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि होती है । वस्तुत:, क्षतिग्रस्त साक्षियों का परिसाक्ष्य अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त से अधिक है । तथापि, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के महत्वपूर्ण भाग का कतई उल्लेख नहीं किया और अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने के लिए कुछ मामूली और महत्वहीन परिस्थितियों का अवलंब लिया ।

7. दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय-19 अपीलों के विषय में है, धारा 385 संक्षिप्तत: खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया के विषय में है और धारा 386 अपील न्यायालय की शक्ति के विषय में है । इन उपबंधों की अन्तर्वस्तु और व्याप्ति को **अमर सिंह** बनाम **बलविन्दर सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में हममें से दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा अभी हाल में स्पष्ट किया गया और पैरा 7 का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 385 में संक्षेपत: खारिज न की गई अपील की सुनवाई से संबंधित प्रक्रिया अधिकथित की गई है और इसकी उपधारा (2) में मामले का अभिलेख मंगाने और पक्षकारों की सुनवाई करने की बाध्यता अधिरोपित करती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 में अधिकथित है कि ऐसे अभिलेख के परिशीलन और अपीलार्थी या उसके प्लीडर और लोक अभियोजक की सुनवाई करने के पश्चात् अपील न्यायालय दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है अथवा किसी न्यायालय द्वारा उसका पुन: विचारण किए जाने के लिए आदेश दे सकता है । अत:, अपील न्यायालय के लिए अभिलेख का जिसका अनिवार्यत: अर्थ है साक्षियों के कथन का परिशीलन करना आज्ञापक है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बयान पर आधारित मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य का सर्वोपरि महत्व होता है और यदि अपील न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को उलट देता है और अभियुक्त को प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य पर विचार किए बिना अथवा उसकी परीक्षा किए बिना दोषमुक्त कर देता है तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 का स्पष्ट उल्लंघन होगा । विश्वनाथ घोष **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य (ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1155) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में सेशन न्यायालय से अभिलेख की प्रतीक्षा किए बिना और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परिशीलन किए बिना ही दोषमुक्त कर दिया हो तो यह न्याय की स्पष्ट हत्या करने की कोटि में आएगा और दोषमुक्ति का आदेश अपास्त किए जाने का दायी होगा । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह तथ्य कि लोक अभियोजक ने यह स्वीकार किया है कि इस संबंध में कोई साक्ष्य

[1] जे. टी. 2003 (2) एस. सी. 1 = (2003) 2 एस. सी. सी. 518.

उपलब्ध नहीं है पर्याप्त नहीं है और उच्च न्यायालय को अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात् अपना समाधान करना चाहिए कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के समर्थन में कोई विश्वसनीय और मान्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं था । उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** सहाय और अन्य, (ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1442) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि जहां उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अंतर्निहित गुणागुणों के विवरण की परीक्षा न की हो और सामान्य आधारों पर उनके साक्ष्यों को अस्वीकार कर दिया है वहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश का परिणाम घोर अन्याय होगा जिससे संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की आसाधारण अधिकारिता का अवलंब लिया जा सके ।"

चूंकि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य को ध्यान में रखे बिना और उस पर विचार किए बिना विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को उलट दिया है इसलिए यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 का स्पष्ट उल्लंघन है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश इस गंभीर गलती के कारण अपास्त किया जा सकता है ।

8. अभि. सा. 4 राम सिंह, अभि. सा. 8 दौलत राम और अभि. सा. 9 रतन के परिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों ओर से गोली चलाई गई थी । इन साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । अभि. सा. 4 ने कहा कि दोनों ओर से पथराव भी हुआ जिसमें उसे भी कुछ क्षतियां पहुंची और इसलिए उसने एक छप्पर में शरण ली और तत्पश्चात् उसने पटाकों जैसी दो या तीन तेज आवाज सुनी । उसने आगे कहा कि उसने बंदूक या पिस्तौल से किसी भी व्यक्ति को फायर करते हुए नहीं देखा । उच्च न्यायालय ने उसके परिसाक्ष्य का गलत अर्थ लगाते हुए यह मत व्यक्त किया कि साक्षी ने कहा कि दोनों ओर से गोली चलाई गई थी । अभि. सा. 8 दौलत राम ग्राम कल्याणपुर, तहसील बेहरोड का निवासी है । उसका कहना है कि वह बैल खरीदने के लिए भजनवास ग्राम गया था । इसी प्रकार, अभि. सा. 9 राम रतन ग्रांम बरोड, तहसील बेहरोड का निवासी है । ये दोनों ग्राम भजनवास के नहीं थे और उन लोगों स्पष्टत: यह कहा कि वे प्रत्यर्थी भवानी और हरि सिंह और तीन फरार अभियुक्तों को भी न तो जानते हैं और न ही पहचानते हैं । इन साक्षियों ने यह भी कहा कि वे उन पांच अभियुक्तों, जिनका अग्न्यायुध से लैस होना और क्षतिग्रस्त व्यक्तियों और मृतकों को क्षतियां कारित करना अभिकथित है, न तो जानते हैं और न ही पहचानते हैं । इसलिए उनका इस आशय का परिसाक्ष्य कि दोनों ओर से गोली चलाई गई थी, पूर्णतया निरर्थक है । ऐसा कथन कि दोनों ओर से गोली चलाई गई थी, सिर्फ ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो दोनों पक्षकारों अर्थात् अभियुक्त और परिवादी पक्ष (क्षतिग्रस्त व्यक्ति और मृतक) को जानता और पहचानता हो । उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्षकथन पर संदेह करने के लिए दोनों ओर से गोली चलाए जाने की परिस्थिति का जोरदार अवलंब लिया । अत:, अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के लिए दिए गए अन्य कारण का कतई कोई आधार नहीं है ।

9. यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष के काउंसेल के निवेदन पर न्यायालय ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया था और उसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुज्ञा दी थी, निसंदेह साक्षी के सारे साक्ष्य को नामंजूर करने का न्यायौचित्य नहीं प्रस्तुत करता । न्यायालय को कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा साक्षी जो भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न कथन करता है, प्रथमदृष्टया सत्य नहीं हो सकता है । यह पता लगाने के लिए कि क्या साक्ष्य को कोई महत्व दिया जाए या नहीं, उसके साक्ष्य का समग्र रूप से परिशीलन किया जाना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए । न्यायालय को ऐसे किसी साक्षी के परिसाक्ष्य पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और सामान्यतया उसके साक्ष्य की संपुष्टि की अपेक्षा करनी चाहिए । उच्च न्यायालय ने अभियोजन के उस पक्षकथन जिसे अनिन्द्य प्रकृति के अनेक प्रत्यक्षदर्शी

साक्षियों के परिसाक्ष्य द्वारा पूर्णत: सिद्ध कर दिया गया है, को बिल्कुल परित्यक्त कर पक्षद्रोही साक्षी के परिसाक्ष्य को वेदवाक्य के रूप में स्वीकार किया । कम से कम यह कहा जा सकता है कि मामले पर विचार करने का उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूर्णत: भ्रामक है ।

10. उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के पक्षकथन को अस्वीकार करने के लिए अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थल योजना का व्यापक रूप से अवलंब लिया और इस प्रयोजन के लिए उसने उस स्थान का हवाला दिया जहां से अभियुक्तों ने अभिकथित रूप से नोहरा में प्रवेश किया, उस स्थान से जहां से उन लोगों ने मृतक पर अभिकथित रूप से गोली चलाई थी और यह भी निष्कर्ष निकाला कि वह स्थान जहां से अभियुक्तों द्वारा मृतक पर फायर किया जाना अभिकथित है, वहां से नोहरा के पूर्वी दिशा के मकानों में गोली नहीं मारी जा सकती । अन्वेषण अधिकारी ने स्थल योजना में उल्लिखित बहुत-सी बातें साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर लिखी हैं। सुस्पष्टत:, वह स्थान जहां से अभियुक्त ने नोहरा में प्रवेश किया और वह स्थान जहां से उन लोगों ने गोली चलाई थी, साक्षियों के कथन पर आधारित है । ये स्पष्टत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के विरुद्ध है । अन्वेषक अधिकारी ने स्वयं जो देखा और नोट किया वही ग्राह्य होगा । इस विधिक स्थिति को **तोरी सिंह और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया :–

> "अन्वेषण के दौरान साक्षियों द्वारा उप निरीक्षक के समक्ष किए गए कथनों के आधार पर उसके (उप निरीक्षक) द्वारा तैयार किया गया कच्चा नक्शा जिसमें वह स्थान दर्शाया गया है जहां मृतक को गोली लगी और वे स्थान भी दर्शित किए गए हैं जहां साक्षी घटना के समय मौजूद थे , दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के उपबंधों के दृष्टिगत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा क्योंकि यह वास्तव में उप निरीक्षक का ही कथन है जो कि साक्षियों ने उसके समक्ष यह बताते हुए किया कि मृतक को जब गोली लगी उस समय वह उक्त स्थान पर था । नक्शा वहीं तक ग्राह्य है जहां तक इससे यह उपदर्शित है कि उप निरीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया, किन्तु साक्षियों द्वारा निरीक्षक के समक्ष किए गए कथनों पर आधारित किसी प्रकार के चिह्न का नक्शे में लगाया जाना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के उपबन्धों को देखते हुए अनुज्ञेय नहीं होगा क्योंकि यह अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष किए गए कथन के सिवाय और कुछ नहीं है । अतः नक्शे पर पाये जाने वाले ऐसे चिह्नों का प्रयोग ऐसे किसी तर्क की अधिसम्भावना को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता है कि मृतक के शरीर के उस भाग पर गोली लगी जिससे वह वस्तुतः क्षतिग्रस्त हो गया, वह उक्त नक्शे में चिह्नित स्थान पर ही खड़ा था ।"

अत:, अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थल योजना जिसके द्वारा इसने अभियोजन के पक्षकथन को अस्वीकार कर दिया था, के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अग्राह्य साक्ष्य पर आधारित होने के कारण स्पष्टत: अवैध है और अपास्त किए जाने योग्य है ।

11. उच्च न्यायालय ने कुछ भरे और खाली कारतूसों की बरामदगी जैसे कुछ बहुत ही तुच्छ और महत्वहीन बातों का भी अवलंब लिया जिसे अभियुक्त के काउंसेल ने न्यायालय के समक्ष .303 बोर की पिस्तौल या बन्दूक का होना बताया । इस बरामदगी का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार किसी भी अभियुक्त के पास .303 बोर की पिस्तौल या बन्दूक नहीं थी इसलिए अभियोजन का पक्षकथन संदेहपूर्ण हो गया । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने लगातार यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त हरि सिंह और अमीलाल देशी पिस्तौल से लैस थे और ऐसे मामलों में यह देखना कठिन है कि

---

[1] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 399.

प्रयुक्त कारतूसों या गोलियों की प्रकृति क्या थी । अत:, यदि यह मान लें कि .303 बोर के कुछ खाली कारतूस बरामद हुए थे, तो भी यह अभियोजन पक्षकथन को किसी भी रीति में प्रभावित नहीं कर सकता ।

12. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए हमारी यह स्पष्ट राय है कि अभियोजन किसी संदेह के बिना अभियुक्त-प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपना पक्षकथन सिद्ध करने में सफल रहा था और विद्वान् अपर न्यायाधीश ने उन्हें उचित ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया था । हमारी राय में, उच्च न्यायालय का निर्णय पूर्णत: अवैध और अनुचित है । यह ऐसा मामला नहीं है जिसके दो मत निकाले जा सके । वस्तुत: अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एकमात्र यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन किसी संदेह के बिना अपना पक्षकथन सिद्ध करने में सफल रहा और अभियुक्त-प्रत्यर्थी उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के स्पष्टत: दोषी हैं ।

13. परिणामस्वरूप, अपील मंजूर की जाती है और तारीख 31 जनवरी, 1991 का उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है और अपर सेशन न्यायाधीश का निर्णय और आदेश प्रत्यावर्तित किया जाता है । अभियुक्त-प्रत्यर्थी उन पर अधिरोपित दंडादेश भोगेंगे । संबद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को गिरफ्तार करने के लिए विधि में उपलब्ध सभी उपाय करेगा ।

अपील मंजूर की गई ।

उ./पा.

[2004] 1 उम. नि. प. 163

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

एलाइड कंस्ट्रक्शन्स

31 जुलाई, 2003

मुख्य न्यायमूर्ति वी. एन. खरे, न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन् और न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा

माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) – धारा 30 और 33 – पंचाट अपास्त करने की न्यायालय की अधिकारिता – चूंकि अधिनियम की धारा 30 और 33 के अन्तर्गत किसी पंचाट में हस्तक्षेप करने की न्यायालय की अधिकारिता सीमित है, इसलिए उक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट एक या अन्य शर्तों के पूरा न होने पर ही न्यायालय द्वारा पंचाट अपास्त किया जा सकता है ।

वर्तमान अपील में अपीलार्थी राज्य और प्रत्यर्थी के मध्य एक पुल -सह-झरने के विनिर्माण की एक संविदा हुई । जब कार्य प्रगति पर था तो उसी समय उक्त कार्य क्षेत्र में बाढ़ आ गई । प्रत्यर्थी ने उक्त बाढ़ से हुई हानि के आधार पर एक दावा किया जो मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया गया । मध्यस्थ द्वारा पंचाट अधिनिर्णीत करने के पश्चात् इसे न्यायादेश बनाए जाने के लिए पंचाट फाइल किया गया जिसमें अपीलार्थी ने कार्यवाहियों के कुसंचालन के आधार पर विरोध किया । न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेप को नामंजूर करते हुए पंचाट को न्यायादेश बना दिया गया । उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में फाइल की गई अपील भी खारिज हो गई । अतः उच्चतम न्यायालय में यह अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,